

बेस्ट उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेली महिला लैंगिक

छळवाद तक्रार निवारण समितीसंदर्भात

सन्माननीय उच्च न्यायालय विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या प्रकरणात निर्णय देताना कामकरी महिलांचा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. तसेच, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळवाद (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार सदर समिती ही ७ सदस्यीय समिती आहे. या समितीच्या अध्यक्षा व इतर सभासदांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:-

| अ. क्र. | नाव | बेस्ट उपक्रमातील पद | महिला लैंगिक छळवाद तक्रार निवारण समितीवरील पद | दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक |
|---------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| १ | श्रीमती अपर्णा प्रभुणे. | संयुक्त सचिव | पीठासीन अधिकारी | २२७९९३२२ |
| २ | श्री. मधुकर मो. राणे. | अधीक्षक (प्रकल्प) | सदस्य | २२०४८२४० विस्तारित क्र.५५४ |
| ३ | श्री. अभय ज. शेलार. | सहा.आगार व्यवस्थापक (सर्वसाधारण) | सदस्य | २२७९९८६३ |
| ४ | श्री. पी. व्ही. ढोबळे. | उप विधि सल्लागार | निमंत्रित विधि सल्लागार | २२७९९४५३ |
| ५ | श्रीमती पुजा प्र. तावडे. | वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (कर्मचारीय) | सदस्या | २२७९९७७९ |
| ६ | श्रीमती संध्या स. पुरव. | सहा.सरचिटणीस, बेस्ट वर्कर्स युनियन | सदस्या | ९८६९३७३०९३ |
| ७ | श्रीमती कांचन समेळ. | युनियन प्रतिनिधी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन | सदस्या | ९९६९०७६२९२ |
| ८ | श्रीमती स्नेहा खांडेकर. | | प्रतिनिधी, बिगर सरकारी संघटना | ९८९९७७०९६६ |